न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण सं. 01/2017

दायर दिनांक 17/07/2017

1. अनोप पत्नि रामपाल जाति बैरवा निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़

प्रार्थी

बनाम

1. रतन सिंह पिता भैरू सिंह राजपुत निवासी कचोलिया खुर्द तहसील माण्डलगढ
2. किशन सिंह पिता मनोहर सिंह राजपुत निवासी कचोलिया खुर्द तहसील माण्डलगढ
3. मूलसिंह पिता अमरसिंह राजपुत निवासी कचोलिया खुर्द तहसील माण्डलगढ

अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थी – सांवरमल रेबारी

अधिवक्ता अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी0) रा0 टी0 एक्ट

–

निर्णय दिनांकः 05/09/2019

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अनोप पत्नि रामपाल जाति बैरवा निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़ पेशा कृषि ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उसके नाम ग्राम कचोलिया खुर्द प0 हल्का श्रीनगर तहसील माण्डलगढ की सरहद में स्थित आराजी न0 221/23 रकबा 2 बीघा भूमि स्थित है। जो कि खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर विपक्षीगण ने पटवारी हल्का श्रीनगर के आराजियात ग्राम कचोलियाखुर्द के आराजी न0 221/23 रकबा 2 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। उक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी रा0 टि0 ए0 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को उक्त प्रकरण में नोटिस दिया दिया जाना उचित नहीं क्योंकि प्रार्थीया अनुसूचित जाति की है व अप्रार्थीगण स्वर्ण जाति के है। अनुसूचित जाति की जमीन पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों का कब्जा किया जाना कानूनन न्यायोचित नहीं है। मैने प्रत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खाते की नकल व रिपोर्ट भू0अ0नि0 महूआ के मौका पर्चा का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है जिसको हटाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कें तहत स्वीकार किये जाने योग्य है। अनुसुचित जाति की कृषि भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों का कब्जा करना कानूनन न्यायोचित नही है

तहसीलदार
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

तथा अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नियम विरुद्ध है।

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम कचोलियाखुर्द की आराजी न0 221/23 रकबा 2 बीघा से अप्राथीगण का कब्जा हटाया जाकर प्रार्थी को समलाया जाने हेतु भू0 अभि0 नि0 काछोला को लिखा जावें। यदि मौके पर कब्जा सम्भलाते वक्त कानुन व्यवस्था भंग होने का अन्देशा हो तो थानाधिकारी काछोला को लिखा जाये। भू0 अभि0 नि0 काछोला द्वारा पुलिस जाप्ता की मांग की जावे तो आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को सरे–आम इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार
माण्डलगढ़

(गोवर्धन लाल वर्मा)
तहसीलदार माण्डलगढ़
जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner